

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक- 31/7/2015

आदेश संख्या-3/विविध-01-20/2014-304(3)/स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉ० आलोक कुमार, प्रभारी सिविल सर्जन, मोतिहारी को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत नियमित पदस्थापन होने तक सिविल सर्जन कार्यालय, मोतिहारी का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

आदेश संख्या-3/विविध-01-20/2014-305(3)/स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉ० राजेन्द्र प्रसाद सिन्हा, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत नियमित पदस्थापन होने तक सिविल सर्जन कार्यालय, किशनगंज का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

आदेश संख्या-3/विविध-01-20/2014-306(3)/स्वा0, राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के डॉ० अशोक कुमार सिंह, प्रभारी सिविल सर्जन, सहरसा को बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 84 के तहत नियमित पदस्थापन होने तक सिविल सर्जन कार्यालय, सहरसा का निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित किया जाता है ।

ह०/-

(स्वयम्भू प्रियो)

सरकार के उप सचिव

संख्या-3/विविध-01-20/2014-304(3) & 306(3) पटना, दिनांक-31/7/2015

प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, सचिवालय मुद्रणालय (प्रशाखा) वित्त विभाग, बिहार, पटना/ अवर सचिव, वित्त (वि०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/संबंधित सिविल सर्जन/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आशुलिपिक/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 3, 7, 8, 9 एवं 10/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव

31/7/15